न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री,R.A.S.

प्रकरण संख्या – 36/2019 अपील/डूंगरपुर
पंजीयन दिनांक– 16.12.2019
निर्णय दिनांक– 15.01.2020

श्री लालशंकर परमार पिता डूंगरजी परमार जाति मीणा निवासी नेंगाला तहसील झोंथरी जिला डूंगरपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1.1 श्री विशाला पुत्र गटु मीणा
1.2 आशा पुत्री गटु मीणा
1.3 सुश्री राधिका पुत्री गटु मीणा उम्र 17 वर्ष अवयस्क जरिये माता श्रीमती रमिला पत्नी गटुलाल
2. श्रीमती रमिला पत्नी गटु मीणा
समस्त निवासीयान नेंगाला तहसील झौथरी, जिला डूंगरपुर(राज.)
3. लेण्ड होल्डर तहसीलदार झौंथरी जिला डूंगरपुर (राज.)

..................रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः– (वचन वहस)

श्री कन्हैयालाल पण्डया : अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री नरेश जोशी : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डूंगरपुर
के प्रकरण संख्या 01/2017 निर्णय दिनांक 28.03.2018

निर्णय

दिनांक : 15.01.2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डूंगरपुर के प्रकरण संख्या 01/2018 निर्णय दिनांक 28.03.2018 के विरूद्ध दिनांक 30.04.2018 को न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील

अधिकारी, उदयपुर को पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 5.12.2019 को दर्ज की गई। जिला डूंगरपुर से संबंधित क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को होने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानान्तरित होकर दिनांक 16.12.2019 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को मौजा नेगाला की आराजी नम्बर 433 में से रकबा 0.10 बिस्वा भूमि, भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जरिये मि. नं. 217/2010 दिनांक 3.12.2010 को आवंटित भूमि पर कब्जाकाश्त नहीं होने से निरस्त कराने हेतु एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 1/2017 दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 28.03.2018 से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया गया।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर अधिवक्ता श्री नरेश जोशी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए एवं लिखित बहस अंतिम निम्न बिन्दुओं पर दी गई:–

<u>बिन्दू संख्या 1</u> : अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अपीलार्थी की अपील पर कानूनी प्रावधानों एवं अपील में प्रस्तुत तथ्यों पर बिना गहराई के विचारण किये एवं मनन किये खारिज किया गया जो कि निरस्त किया जाना कानूनी एवं नियमानुसार प्रावधानों के है।

<u>बिन्दु संख्या 2</u> : उक्त आवंटित भूमि पौहरी खातुरात में मौजा नैंगाला में सन् 1987 में जीवा पिता पन्ना रोत नेंगाला से आवंटित भूमि से सटी हुई भूमि खाता संख्या 25 खसरा नम्बर 1771/15 रकबा 5 बीघा किस्म सुखी तृतीय रजिस्ट्री से दिनांक 4.10.1988 को क्रय कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाई गई। श्री जीवा पिता पन्ना का उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा व काश्त रहा। जीवा पिता पन्ना ने बिलानाम काबिल काश्त 1 बीघा 9 बिस्वा पर

बाप–दादाओं के समय से ही कब्जा व काश्त रहा है। वक्त उक्त भूमि बेचान के समय उक्त बिलानाम काबिल काश्त की भूमि का कब्जा भी प्रार्थी/अपीलार्थी को सुपुर्द कर दिया था। तब से निरन्तर प्रार्थी/अपीलार्थी का उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त है। उक्त आवंटित भूमि पर प्रार्थी/अपीलार्थी का मकान बना हुआ है तथा बोरवेल भी सिंचाई हेतु खोद रखा है। उक्त बोरवेल के पानी का उपयोग व उपभोग क्रय की गई भूमि पर सिंचाई हेतु उपयोग करता आ रहा है।

बिन्दु संख्या 3 : विपक्षीगण को आवंटित उक्त विवादित भूमि डूंगरपुर सीमलवाडा पक्की सडक से 120 फीट के दायरे में है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी/ अपीलार्थी का ही दिनांक 9.3.1987 से कब्जा है। विपक्षीगण ने तत्कालिक पटवारी एवं आवंटन सलाहकार समिति से मिलीभगत कर गैर कानूनी तरीके से आवंटन करा लिया था तथा बाद में दिनांक 31.07.2014 को मात्र तीन वर्ष एवं सात माह की अवधि में खातेदारी अधिकार भी प्राप्त कर लिये। विपक्षीगण को दिनांक 03.12.2010 को आवंटन एवं दिनांक 31.07.2014 को खातेदारी अधिकार दिया जाना निहायत गैर कानूनी होकर नियम विरूद्ध है, जिसको निरस्त किया जाना उचित एवं कानूनन है।

बिन्दु संख्या 4 : उक्त भूमि आवंटन करने से पहले विपक्षीगण ने पटवारी के साथ मिलीभगत कर झुठी रिपोर्ट पेश की तथा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त रिपोर्ट पर बिना जांच किये एवं मौका देखे नियम विरूद्ध आवंटन किया गया। आवंटन सलाहकार समिति एवं तत्कालिन पटवारी द्वारा मौके पर प्रार्थी/ अपीलार्थी के कब्जे का अंकित नहीं किया गया न ही कब्जा हटाने का नोटिस दिया गया, न ही आवंटन समिति द्वारा नियम 20 के अंतर्गत कोई कार्यवाही की गई, जबकि कानूनी प्रावधानों के तहत नोटिस दिया जाना एवं नियम 20 के कार्यवाही किया जाना वांछित एवं निहायत आवश्यक तथा नियमानुसार कानूनन था, जिसको अमल में नहीं लिया गया तथा (MIS Representation) के नियम विरूद्ध आवंटन किया गया। आवंटन पश्चात् विपक्षीगण ने कीी आवंटन नियम 14 (3) व (4) की न तो पालना की न ही उक्त भूमि पर विपक्षीगण का कब्जा काश्त रहा। मात्र 3 वर्ष 7 माह में उक्त आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकारी भी गैर कानूनी प्राप्त कर लिये जबकि नियमानुसार आवंटित भूमि पर आवंटन अधिनियम के नियम व शर्तो का पालन किया जाना चाहिये था तथा आवंटन के दस वर्ष तक लगातार विपक्षीगण के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिर दिया जाना

चाहिये था। जिसको अमल में नहीं लिया गया एवं मिलीभगत से विपक्षीगण ने गैर कानूनी आवंटन एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त किये है। जिसको नियमानुसार एवं कानूनी रूप से निरस्त किया जाना अति आवश्यक है।

बिन्दु संख्या 5 : विवादित आवंटित भूमि पर प्रार्थी/अपीलार्थी का कब्जा रहा है तथा उक्त भूमि पर पेनाल्टी भी जमा करवायी है, जिसकी रसीद संख्या 0004 दिनांक 3.3.2016 व रसीद संख्या 0002 दिनांक 3.10.2014 है जो शामिल पत्रावली है। इस प्रकार प्रार्थी/ अपीलार्थी का उक्त भूमि पर दिनांक 9.3.1987 से वर्तमान तक अनवरत रूप से कब्जा है। प्रार्थी/ अपीलार्थी उक्त भूमि पर मकान भी बना चुका है तथा बोरवेल भी खुदवा रखा है। अगर प्रार्थी/ अपीलार्थी के हक में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध उक्त आवंटन को निरस्त नहीं किया जाता है तो इससे भारी नुकसान हो जायेगा जिसका आंकलन रूपयो से किया जाना असंभव होगा।

उपरोक्त बिन्दुवार की अंतिम बहस में निवेदन करते हुए विपक्षीगण को उक्त आवंटित भूमि को निरस्त करने का आदेश फरमावे।

इसके विरूद्ध वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय औचित्यपूर्ण होकर तथ्य एवं कानून सम्मत है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारीज की जाये।

हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर लिखित एवं मौखिक बहस पर मनन किया, तो यह पाया कि प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को आवंटन आवेदन पर पटवारी की सुस्पष्ट रिपोर्ट के आधार पर आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा ग्राम नेगाला की आराजी नम्बर 433 में से 10 बिस्वा भूमि का आवंटन 03.12.2010 को किया जाकर उक्त आवंटन का जमाबन्दी में अमल दरामद होकर आराजी नम्बर 433 का बटा नम्बर 1990/433 आवंटी के नाम दर्ज होकर नामान्तरकरण संख्या 686 दिनांक 31.7.2014 से खातेदारी हक भी दिये जा चुके है। प्रकरण में अपीलान्ट का प्रमुख उजर उसके द्वारा पूर्व नाजायज कब्जाधारी से उक्त राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कब्जा को ईकरार नामे से क्रय किया जाना तथा कब्जेधारी की खातेदारी भूमि को क्रय करते समय उक्त भूमि भी उसके निकट होना बताया है। उक्त भूमि पर उसका कब्जा होने के कारण भी आवंटन को गलत बताया है। आवंटन का मिस रिप्रजेनटेशन से करवाना भी बताया है। आवंटन शर्तो की पालना भी नहीं करना भी बताया है। हमारे द्वारा पत्रावली के आध्योपान्त अवलोकन कर

बहस पर मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि विधि का कोई प्रावधान नही है कि यदि कोई खातेदार अपनी भूमि बेचता है तो उसके जुडवा राजकीय भूमि पर उसके अतिक्रमण को भी वह बेच सकता हो। इस प्रकार का कोई विक्रय न तो किया जा सकता है न ही ऐसा कोई विक्रय या ईकरारनामा विधिक है। ऐसे किसी विक्रय अथवा ईकरारनामे से किसी को कोई अधिकार सृजित होते हैं। इन परिस्थितियों में अपीलान्ट का वर्णित विक्रय अथवा ईकरारनामे से कोई अपील आधार मान्य नहीं है। अपीलान्ट ने आवंटित भूमि पर अपना कब्जा होने बाबत् जहां तक तथ्य वर्णित किये है, उनसे यह स्पष्ट नहीं होता कि उसका आराजी नम्बर 433 के उसी 9 बिस्वा पर कब्जा है, जहां आवंटी रेस्पोडेन्ट को भूमि आवंटित हुई हो। वैसे भी विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि अतिक्रमी का कोई लोकस स्टनडाई नहीं होता। प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि निकटवर्ती भूमि के अतिक्रमण की भूमि के आवंटन/ नियमन बाबत् अपीलान्ट ने कोई आवेदन कभी किया हो, ऐसा भी रेकर्ड पर नहीं है। आवंटी को किन शर्तो की पालना बाबत् अपीलान्ट उजर करता है, यह अपीलान्ट का दायित्व था, इस हेतु अपीलान्ट द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, इसलिये आवंटी को खातेदारी अधिकार दिये जाने में कोई विधिक अनियमितता मानने का आधार पर नहीं है।

उपरोक्त समस्त विवेचना अनुसार हम अपील अपीलान्ट सारहीन होने से तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील खारिज करते है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर की कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें ।

निर्णय आज दिनांक 15/01/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर